

प्ररूप 21ख

[नियम 11 (1) देखिए]

(आकस्मिक रिकित को भरने के लिए निवाचिन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो) लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन निवाचिन के परिणाम की घोषणा। बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए निवाचिन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम-11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) से अन्तर्भूत उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री राधा मोहन शर्मा गृह संख्या-25, ग्राम- पिंजौर,
थाना-परस विग्हा,
अंचल+ज़िला- जहानाबाद जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े
किये गए हैं

उस सदन में डॉ० सूरज नन्दन प्रसाद की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान : बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

तारीख : 31 मई, 2019

बटेश्वर नाथ पाण्डे
 (बटेश्वर नाथ पाण्डे)
 रिटनिंग ऑफिसर ३१/८५/२०१७
 रिटनिंग ऑफिसर
 बहार विद्यान भवित्व का उप निवाचन